कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

Phone no./Fax no. 01370-260070 E.mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

पत्रांक 478 /33 सी दिनांक 27 /05 /2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

विषय – जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौड़ू रानीताल मोल्टा तक मार्ग के निर्माण हेतु 1.4875 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/17623/2016)

सन्दर्भ – भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8वी0/यू0सी0पी0/06/201/2016/एफ0सी0/531 दिनांक 04.06.2019 एवं आपका पत्रांक 293/12–1 दिनांक 31.07.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय वर्णित मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 8वी0/यू0सी0पी0/06/201/2016/एफ0सी0/531 दिनांक 04.06.2019 द्वारा प्राप्त है। भारत सरकार के पत्र के अनुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या चार–चार प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।

शर्त सं0 1 :– क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रू0 911930.00 की धनराशि ऑन लाईन दिनांक 03.02.2020 को जमा कर दी गई है। (चालान की प्रति संलग्न है) एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम ***झनाऊ*** की सिविल सोयम भूमि जिसका क्षेत्रफल 2.975 हे0मी0 का नामान्तरण/हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में करने हेतु उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर को इस कार्यालय के पत्रांक 992/33सी0 दिनांक 14.06.2019 द्वारा लिखा गया है। जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल ने अपने पत्रांक 726/XXVI(2019–20) दिनांक 29.11.2019 द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति ग्राम झनाऊ की सिविल भूमि के स्थान पर संशोधन करवाते हुये ग्राम अरोटा की भूमि का प्रस्ताव वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण करवाने हेतु लिखा गया है, जिसके क्रम में पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 52/33सी0 दिनांक 09.01.2020 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ग्राम झनाऊ की सिविल भूमि के स्थान पर संशोधन करवाने हेतु ग्राम अरोटा सिविल सोयम भूमि का उपयुक्ता प्रमाण पत्र तथा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। आख्या प्राप्त होने पर आपको प्रेषित कर दी जायेगी।

शर्त सं0 2 :– एन0पी0बी0 की धनराशि रू0 1256938.00 चालान द्वारा ऑन लाईन दिनांक 03.02.2020 को जमा की गई है। (चालान की प्रति संलग्न है)

शर्त सं0 3 :– प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0बी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि विभाग द्वारा जमा की जायेगी की वचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न है।

शर्त सं0 4 :– आपके द्वारा उक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में दिये गये ड़िमान्ड़ नोट के आधार पर वांच्छित धनराशि सी0ए0एफ0 नई दिल्ली को चालान द्वारा ऑन लाईन जमा की गई है। (चालान की प्रति संलग्न है)

शर्त सं0 5 :– सड़क निर्माण के पश्चात जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा सैन्टरल वेज पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में स्ट्रिप प्लान्टेशन की जायेगी की वचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न है, साथ ही भू–वैज्ञानिक के सुझावों को कड़ाई से पालन किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न है एवं जिलाधिकारी टिहरी द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित (एफ0आर0ए0) का प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें तथा मार्ग में पड़ने वाले पेड़ों के छपान व कटान के आदेश निर्गत करते हुए कार्य प्रारम्भ की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार चार–चार प्रतियों में।

(इं0 विनोद नेगी)
अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

पत्रांक 478 /33 सी दिनांक 27 /05 /2020

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को सूचनाथ प्रेषित।

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (प्रथम) अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर मु0–कीर्तिनगर को इस आशय से प्रेषित कि नामान्तरण/हस्तान्तरण आख्या प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विभाग से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर